VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
M N 23 JUL 2018
SUBMITTED IN 3 HOURS
RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1067)

Name of Candidate	Ravi Kumar Sihag		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	168117
Center	MN	Date	23/07/18

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

M-1/4, Plot No-A-12/13, Ist Floor, Ansal Building, Dr. Vidya Sagar Homeopathic Clinic, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. What is the role that opposition plays in a democracy like India? In this context, discuss whether our Parliament can benefit from a shadow cabinet. **(150 words)** 10

भारत जैसे लोकतंत्र में विपक्ष क्या भूमिका निभाता है? इस संदर्भ में, चर्चा कीजिए कि क्या हमारी संसद छाया मंत्रिमंडल (शैडो कैबिनेट) से लाभान्वित हो सकती है।

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं जवाबदेह सरकार को निरंकुश सरकार में तब्दील होने से रोकने के लिये विभिन्न क्रियाविधियों के साथ-साथ विपक्ष भी रचनात्मक भूमिका निभाता है।

भारत के सन्दर्भ में विपक्षी दल न्यायपालिका रूपी बाहरी जवाब जवाबदेहिता क्रियाविधि के समानान्तर विपक्ष 'आंतरिक जवाबदेहिता क्रियाविधि' को सुनिश्चित करता है। ध्यातव्य है कि संसद में विभिन्न प्रस्तावों यथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव जैसे उपकरणों द्वारा विपक्ष सरकारी जवाबदेही सुनिश्चित करता है। इसके साथ-साथ भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में विभिन्न उपेक्षित तबकों की आवाज भी

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

विपक्ष के माध्यम से ही सरकार तक पहुँचती है। यह कार्य विभिन्न विधेयकों पर अपनी असहमति या संशोधन प्रस्ताव देकर विपक्ष द्वारा निभायी जाती है। एक अन्य स्तर पर विभिन्न आयोगों जैसे केन्द्रीय सतर्कता आयोग आदि की नियुक्ति में भी विपक्षी दल के नेता की भूमिका है। साथ ही, लोकलेखा समिति के उपाध्यक्ष के रूप में विपक्षी नेता वित्त पर भी संसदीय नियंत्रण प्रभावी बनाता है।

हालांकि भारत में अभी विकसित विपक्ष की परंपरा पूर्णतः ~~विक~~ उत्पन्न होने में समय लगेगा।

<u>शैडो कैबिनेट</u> :- विपक्षी दल द्वारा समानान्तर सरकार के विकल्प के रूप में रखी जाने वाली संरचना।

पक्ष	विपक्ष
- सरकारी विकल्प की संभावना	→ विपक्ष में भी शैडो कैबिनेट के पदों हेतु होड़ मच सकती है
- अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में उपयोगी	→ एक जवाबदेही एवं पारदर्शी परंपरा के विकास की चुनौती।
- सरकारी नियंत्रण की मजबूत प्रणाली बनेगी।	

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Where there is a right, there is a remedy. In this context, discuss the nature and significance of writs in India with adequate examples. **(150 words) 10**

जहाँ अधिकार है, वहाँ उपचार भी है। इस संदर्भ में, यथोचित उदाहरणों के साथ भारत में रिटों की प्रकृति और महत्व की चर्चा कीजिए।

'रिट' शब्द अंग्रेजी संसदीय प्रणाली से उद्धृत है, जहाँ राजा द्वारा अधिकारों की रक्षा के लिये इन्हें जारी किया जाता था। वहाँ इन्हें न्याय कारकनां भी कहा जाता है।

भारत में अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के लिये विभिन्न प्रकार की रिट यथा 'बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध आदि जारी की जाती है। अनु॰ 226 के तहत उच्च न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार है -

प्रकृति

(क) ये उपचारात्मक के साथ-साथ पूर्व-क्रियात्मक भी हैं अर्थात न्यायालय इन्हें मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में जारी कर सकता है।

(ख) सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करने की

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

शक्ति से इंकार नहीं कर सकता क्योंकि अनु॰ 32 स्वयं एक मूल अधिकार है।
(ग) ये रिट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन में जारी की जा सकती है, वहीं उच्च न्यायालयों द्वारा अन्य मामलों में भी।
(घ) विभिन्न रिटें अधीनस्थ न्यायालयों, सरकार, अधिकारियों के खिलाफ भी जारी की जा सकती है।

महत्व :- अधिकारों को प्रदान करना एक प्रतीय बात है जब तक कि उन्हें संरक्षण या उपचार प्रदान न किया जाये। इसी सन्दर्भ में भारतीय संविधान में रिटों का महत्व है। इन न्यायादेशों के बिना मूल अधिकार महत्वहीन है। इसी कारण डॉ॰ अम्बेडकर ने इस अधिकार (अनु॰ 32) को 'संविधान की आत्मा' की संज्ञा दी।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Enumerate the objectives of NITI Aayog. Also, discuss the performance of this body since its inception and suggest measures to make it more effective. **(150 words)** 10

NITI आयोग के उद्देश्यों को सूचीबद्ध कीजिए। साथ ही, इसकी स्थापना के बाद से इस निकाय के प्रदर्शन की चर्चा कीजिए एवं इसे और अधिक प्रभावी बनाने के उपाय सुझाइये।

नीति आयोग

- ~~सहयोगी~~ सहकारी संघवाद को प्रोत्साहन
- एक सलाहकारी निकाय व थिंक टैंक के रूप में कार्य
- देश के विभिन्न नीति-निर्माताओं एवं विशेषज्ञों के ~~रूप में~~ मंच के रूप में कार्य करना
- विभिन्न नीतिगत जटिलताओं, दाँव-पेचों को सहभागिता से सुलझाने का मंच

प्रदर्शन :-

(क) सहकारी संघवाद की प्रवृत्ति में वृद्धि
विभिन्न योजनाएँ जैसे आकांक्षापूर्ण जिलों का विकास कार्यक्रम

(ख) 3 वर्षीय कार्ययोजना, 7 वर्षीय रणनीति, 15 वर्षीय विज़न के माध्यम से नये प्रारूप पर योजना निर्माण

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(ग) विभिन्न सूचकांकों स्वास्थ्य सूचकांक, न्यायिक समीक्षा सूचकांक के माध्यम से देश में आँकड़ों का संग्रह व राज्यों में प्रतिस्पर्द्धा की भावना विकसित करने में सहायक। (स्वस्थ भारत-प्रगतिशील रिपोर्ट)

(घ) देश में शीर्ष नेताओं को एक मंच पर सार्थक चर्चा व विवाद निवारण में भी सहायता मिली है।

प्रभावीकरण के उपाय:

(क) सरकारी हस्तक्षेप (विशेषज्ञों पर) कम हो।
(ख) राज्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व एवं तवज्जो दी जाये।
(ग) संरचना को और अधिक समावेशी बनाने का प्रयास हो सकता है जैसे (महिला, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी विशेषज्ञों को शामिल करना)
(घ) राज्यों की अपेक्षाओं, सलाहों पर ध्यान देने की संस्कृति विकसित की जानी चाहिये।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. In view of the political class's inability to develop and maintain conventions relating to the appropriate use of Article 356, the Supreme Court's decision in the Bommai case provided much needed clarity. Comment. (150 words) 10

अनुच्छेद 356 के उचित उपयोग से संबंधित परिपाटी विकसित करने और उसे बनाए रखने में राजनीतिक वर्ग की अक्षमता को देखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बोम्मई वाद में दिए गए निर्णय ने अत्यावश्यक स्पष्टता प्रदान की है। टिप्पणी कीजिए।

संविधान निर्माताओं ने संविधान में विशिष्ट परिस्थितियों में संघ को यह अधिकार दिया कि वो राज्य सरकारों का संचालन करें। ऐसा दो आधारों पर कर सकते हैं।

(क) यदि राज्य की सरकार संविधानानुरूप नहीं चल रही है (अनु. 355)

(ख) यदि राज्य ने संघ के किसी आदेश को मानने से इंकार कर दिया हो (अनु. 365)

परंतु व्यवहार में देखा गया कि यह शक्ति राज्यों पर संघ के अनावश्यक नियंत्रण का ज़रिया बन गई, विशेषतः तब, जब दोनों स्तरों पर अलग दलों का शासन हो। मामला चाहे 1967 का हो या बाद में अन्य संदर्भों का, संघ द्वारा इस शक्ति का दुरुपयोग किया गया है। इस संबंध में

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

सर्वोच्च न्यायालय ने बोम्मई वाद (1994) में कुछ दिशा-निर्देश दिये।

(क) अनु॰ 356 के तहत राज्यपाल की सिफारिश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यदि वह दुर्भावनापूर्ण हो।

(ख) राज्यपाल सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकता। जब तक संसद फैसला न ले ले, राज्य सरकार निलंबित रहेगी।

(ग) बहुमत साबित करने का फैसला राज्यपाल भवन में नहीं, सदन में होगा।

(घ) संघ-राज्य में अलग दलों की सरकार बनने पर बिना विचार किये राज्य सरकारों को बर्खास्त करना असंवैधानिक है।

(ङ) न्यायालय इस अतार्किक फैसले को निरस्त कर राज्य सरकार की पुन: बहाली कर सकता है।

(च) राज्यपाल द्वारा सभी विकल्पों की जाँच कर ही निर्णय लेना चाहिये।

इस प्रकार भारत के संघीय ढाँचे की अक्षुण्णता बनाने में बोम्मई वाद का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Press freedom and good governance are not mutually exclusive. They support each other while promoting a country's economic and human development. Comment. **(150 words)** 10

प्रेस की स्वतंत्रता और सुशासन परस्पर अपवर्जी नहीं हैं। देश के आर्थिक और मानव विकास को प्रोत्साहित करते हुए ये एक-दूसरे को समर्थन प्रदान करते हैं। टिप्पणी कीजिए।

हाल ही में 'ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल' की 'करप्शन परसेप्शन' रिपोर्ट में भारत की निम्न रैंकिंग के मद्देनज़र संस्था का यह निष्कर्ष था कि जिस राज्य में प्रेस, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विद्यमान है वहाँ भ्रष्टाचार का स्तर कम एवं सुशासन का स्तर अधिक है।

यदि 'सुशासन' की परिभाषा पर विचार करें तो हम पाते हैं कि यह वह धारणा है जिसके अन्तर्गत सरकार सभी हितधारकों को शामिल कर सहभागितापूर्ण, जवाबदेह एवं पारदर्शी तरीके से शासन का संचालन करती है। इस प्रकार यदि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी 'मीडिया' को भी शामिल करेंगे तभी वह सुशासन वास्तविक होगा।

मीडिया/प्रेस व सुशासन की अन्तर्संबंधता :

(क) जहाँ सुशासन प्रेस के द्वारा जनता की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं, अभिलाषाओं का पता लगाता है वहीं मीडिया भी शासन प्रणाली पर उचित अंकुश बनाये रखती है। उदा० के लिये विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं में आदिवासियों के हितों के संबंध में मीडिया की भूमिका

(ख) प्रेस की वह संरचना है जो जनता को अपने अधिकारों के प्रति विभिन्न खबरों, विज्ञापनों के माध्यम से जागरूक करती है। साथ ही सरकारी प्रयासों, कार्यों का पारदर्शी खाका प्रेस ही जनता को उपलब्ध कराती है। इससे मानवाधिकारों के साथ-साथ लोकतंत्र को भी मजबूती मिलती है

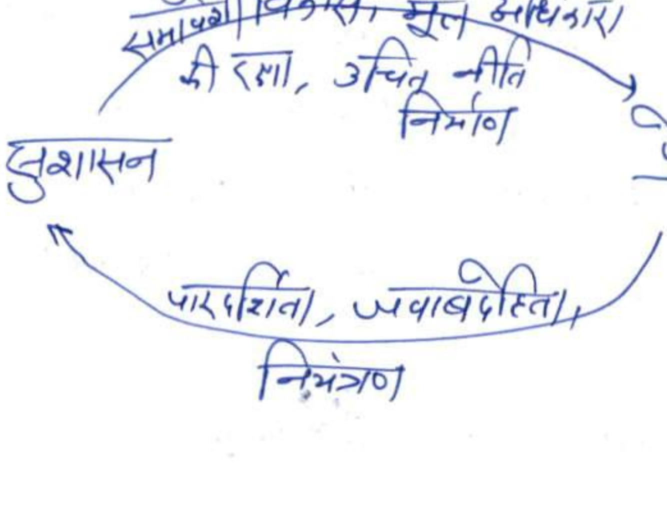

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. SHGs have succeeded in delivering financial inclusion, but for them to evolve as viable business enterprise requires a different approach. Analyse in the context of the twin goals of rural growth and promotion of women's entrepreneurship. **(150 words)** 10

SHGs ने वित्तीय समावेशन प्रदान करने में सफलता प्राप्त की है, लेकिन उनके लिए व्यवहार्य व्यापार उद्यम के रूप में विकसित होने के लिए एक भिन्न दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ग्रामीण विकास और महिला उद्यमिता के संवर्द्धन के जुड़वाँ लक्ष्यों के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए।

हाल के अनेक विश्लेषण बताते हैं कि स्वयं सहायता समूहों ने ग्रामीण विकास एवं महिला उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भारत के SHG की बात करें तो 80% समूह महिला केन्द्रित है साथ ही इनके द्वारा प्रदान ऋणों की चुकता दर 95% है अर्थात् एन.पी.ए. की दर भी कम है।

परंतु कुछ ऐसे कारण विद्यमान है जो इन समूहों की क्षमता में दोहन में बाधा उत्पन्न करते हैं-

(क) पुरुषवादी मानसिकता, पितृसत्तात्मकता एवं महिला क्षमताओं पर संशय की अवधारणा (ग्लास सीलिंग)

(ख) बैंकों की ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में उदासीनता

(ग) ब्याज दर का उच्च होना व ग्रामीण

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

क्षेत्रों में प्रतिफल का कम होना।

अतः इन चुनौतियों के मद्देनज़र भारत को चाहिये कि उसे तीन एप्रोच पर काम करना चाहिये।

(क) समूहों में महिला शिक्षा एवं जागरूकता के साथ उचित प्रशिक्षण का व्यवस्था करना।

(ख) व्यवहारों में बदलाव- विशेषकर पुरुषों के, के प्रयास करना।

(ग) तीसरे स्तर पर बांग्लादेश के 'मोहम्मद युनुस' के मॉडल एवं 'सोशल बिजनेस' की अवधारणा पर भी विचार किया जा सकता है जहाँ समूह का उद्देश्य लाभ कमाना न होकर रोजगार, गरीबी उन्मूलन एवं पर्यावरण समावेशी विकास पर फोकस करता है।

(घ) अन्य स्तरों पर बैंकों को भी प्रोत्साहन के साथ-साथ कुछ नियमनों के सहारे ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने को प्रेरित करना भी उचित होगा।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. The focus of higher education in India has been on a select few Central or autonomous institutions where as the ones in states remain neglected. Commenting on the statement, highlight the significance of Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) in this context. **(150 words)** 10

भारत में उच्च शिक्षा का ध्यान कुछ चुनिंदा केंद्रीय या स्वायत्त संस्थानों पर केंद्रित रहा है, जबकि राज्यों में स्थित संस्थान उपेक्षित रहे हैं। इस कथन पर टिप्पणी करते हुए, इस संदर्भ में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के महत्व पर प्रकाश डालिए।

भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति पर विचार करें तो सबसे बड़ी समस्या इसकी समावेशिता को लेकर है। सरकारी बजट की कमी, उचित मानकों का अभाव, अवसंरचना व फैकल्टी की कमी है जो राज्य विश्वविद्यालयों की निम्न स्थिति हेतु जिम्मेदार है। हाल ही में सरकार ने 2017 से 2020 की अवधि के लिये 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को मंजूरी दी है। राज्य विवि की स्थिति सुधार में इस अभियान की भूमिका इस प्रकार से होगी।

(क) इसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा सभी उच्चतर संस्थाओं को कवर किया गया है।

(ख) मुख्य बल संस्थानों की अवसंरचना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

विकास एवं गुणवत्ता विस्तार पर किया जायेगा।
(ग) कुछ नये विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों की भी स्थापना की जायेगी।
(घ) हायर एजुकेशन फंड ऑथोरिटी (HEFA) के माध्यम से विभिन्न शिक्षा संस्थानों को ऋण की उपलब्धता की जायेगी, जिसका ब्याज भुगतान केन्द्र सरकार करेगी।
(ङ) 2020 तक उच्च शिक्षा नामांकन अनुपात को 30% बढ़ाने हेतु अनेक प्रयास किये जायेंगे जिससे राज्य स्तरीय विवि की सीट खाली रहने की समस्या से निजात मिल सकेगी व उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनेगी।

इस प्रकार 'रूसा' अभियान शिक्षा के समावेशन में सशक्त भूमिका का निर्वहन कर सकता है, यदि इसके प्रावधानों का शब्दशः पालन किया जाये व राजनीति को शिक्षा से पृथक रखा जाये।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. Discuss the role played by PRIs in political empowerment of women. Also, suggest measures to further increase their political participation. (150 words) 10

महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में PRIs (पंचायती राज संस्थाएं) द्वारा निभाई गई भूमिका की चर्चा कीजिए। साथ ही, उनकी राजनीतिक भागीदारी को और अधिक बढ़ाने के उपाय सुझाइए।

संविधान के अनुच्छेद 243(D) के तहत महिलाओं को सभी स्तरों पर (ग्राम, मंडल, जिला) अनिवार्य 33% के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान महिलाओं के सशक्तिकरण का ज़मीनी स्तर पर एक प्रस्थान बिन्दु है। (13 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि)

पं.रा.सं. की भूमिका

(क) लोकतंत्र के ज़मीन स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था जहाँ महिला पुरुष सभी के अधिकार समान हैं।

(ख) आरक्षण के साथ-साथ क्षमता निर्माण कार्यक्रमों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने महिलाओं की भूमिका प्रखर की है।

(ग) हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भी पंचायती स्तर पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (EWR) के प्रशिक्षण की

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

योजना पेश की है

(घ) प्रायः देखा गया है कि विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन महिला प्रतिनिधियों द्वारा पुरुषों की तुलना में अधिक सुसंगतता से किया गया।

(ङ) पितृसत्तात्मकता, पुरुषवादी मानसिकता में सुधार होना।

(च) पंचायतों के द्वारा महिला शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कार्यक्रमों द्वारा सशक्तिकरण।

सुझाव

(क) महिला शिक्षा बढ़ाने के कार्यक्रम चलाना।

(ख) 110 वां संशोधन अधिनियम (PRI में महिलाओं को 50% आरक्षण) पारित करना। बिहार राज्य इस मामले में रोल मॉडल का कार्य कर सकता है।

(ग) जागरूकता प्रसार कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक का प्रयोग, विभिन्न महिलाओं को पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहन देना।

(घ) एन.जी.ओ. सिविल समाज को भी इस दिशा में प्रयास करने को प्रेरित करना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. What is Strategic Autonomy? Critically examine the elements of such a policy in India's contemporary foreign policy in the context of recent developments. **(150 words)** 10

रणनीतिक स्वायत्तता क्या है? हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में भारत की समकालीन विदेश नीति में ऐसी नीति के तत्वों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

रणनीतिक स्वायत्तता से अभिप्राय है बिना किसी बाहरी या आंतरिक दबावों के अपने राष्ट्रीय हितों में अपनी विदेश नीति एवं अन्य रणनीतिक कार्यों का संचालन करना।

हाल के वर्षों की कुछ बानगियाँ :-

(क) भारत द्वारा इजराइल के साथ सहयोग स्थापना, ईरान के साथ सहयोग - डी-हाइफन नीति

(ख) रूस के साथ संबंधों के साथ-साथ अमेरिका के साथ लेमोआ (LEMOA) समझौता करना।

(ग) अमेरिका के विरोध के बावजूद एस-400 हेतु रूस के साथ डील को अंतिम रूप देना।

(घ) एक तरफ मालाबार अभ्यास तो दूसरी ओर एस.सी.ओ (SCO) की सदस्यता।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इस प्रकार भारत ने अपने रणनीतिक हितों के अनुरूप ही निर्णय लेकर अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का परिचय दिया है

हालाँकि इस प्रकार की स्वायत्तता में एक खतरा यह रहता है कि हम अपने पारंपरिक मित्रों को संशयग्रस्त बनाते हैं वहीं दूसरी ओर प्रतिस्पर्धियों को भी सक्रिय बनाने का न्यौता देते हैं

परंतु कुल मिलाकर भारत के सभी पक्षों को भी संतुष्ट रखते हुए अपनी विदेश नीति का संचालन स्वायत्त रूप से किया है। हालिया ओबोर परियोजना में शामिल न होने का निर्णय भारत की रणनीतिक हितों के कारण है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में CPEC कॉरिडोर को लेकर है। हालाँकि ऐसा निर्णय भारत को वैश्विक राजनीति में अलग-थलग भी कर सकता है अतः भारत को उचित समझकर व विचारकर निर्णय लेना चाहिये।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. IBSA and BRICS are both examples of India's quest for multialignment, however there are key differences in their orientation. Discuss in the context of the relevance of these groupings for India. **(150 words) 10**

IBSA और BRICS दोनों भारत के बहुपक्षीय संरेखण (मल्टीएलाइन्मेंट) की तलाश के उदाहरण हैं, हालांकि उनके अभिविन्यास में मौलिक अंतर है। भारत के लिए इन समूहों की प्रासंगिकता के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

इब्सा से अभिप्राय है इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका डायलोग फोरम, जबकि ब्रिक्स देशों में विश्व के पाँच प्रमुख विकासशील देश - उपर्युक्त तीनों के साथ चीन व रूस भी आते हैं।

भारत का हमेशा से प्रयास रहा है कि विश्व में एकध्रुवीयता के बजाय बहुध्रुवीयता आये। साथ ही भारत दक्षिण-दक्षिण सहयोग, काउंटर चीन, एवं दक्षिण एशिया के साथ विश्व में शांति स्थापना हेतु वर्षों से प्रयासरत रहा है। इन्हीं प्रयासों का उदाहरण है, ये उपर्युक्त समूह। ताकि भारत वैश्विक पटल पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा सके एवं बदलते आर्थिक परिदृश्य में विकासशील देशों के नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य कर सके।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

जहाँ अभिमुखता की बात करें तो इब्सा व ब्रिक्स में मुख्य अंतर यह है कि जहाँ अनुवर्ती संगठन तीनों देशों के मध्य सहयोग बढ़ाकर 'दक्षिण-दक्षिण सहयोग' एवं एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ~~भारत~~ एकता लाने के प्रयास का परिणाम है वहीं परवर्ती संगठन यानी ब्रिक्स विश्व की पाँचों विकासशील देशों के द्वारा विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करने का परिणाम है।

उपर्युक्त अंतर के बावजूद दोनों संगठन भारत हेतु निम्न प्रकार से प्रासंगिक है-

(क) भारतीय द्विपक्षीय संबंधों में विविधता हेतु इब्सा भारत के दक्षिण गोलार्द्ध के देशों के साथ गठजोड़ हेतु ज़रूरी है।

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ में भूमिका में वृद्धि हेतु।

(ग) व्यापार एवं निवेश के अवसरों हेतु

(घ) हिंद महासागर एवं अन्य स्तरों पर नेतृत्व के विकास हेतु।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. What are the various modes of Alternate Dispute Redressal (ADR) mechanisms available in India? Identifying the problems being faced by them, provide suggestions needed to increase their effectiveness. **(250 words)** **15**

भारत में उपलब्ध वैकल्पिक विवाद निवारण (ADR) तंत्र के विभिन्न रूप क्या हैं? इनके द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की पहचान करते हुए, इनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए आवश्यक सुझाव प्रदान कीजिए।

भारत में न्यायपालिका पर बढ़ते मुकदमों के दबाव (लगभग 3.5 करोड़ लंबित मामले), जजों की कमी, सिविल एवं समाधेय मामलों की बढ़ती संख्या ने वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों की आवश्यकता के विचार को बल दिया। मुख्यत: इन तंत्रों का प्रमुख कार्य औपचारिक अदालती कार्यवाही के बजाय विभिन्न समानान्तर, अनौपचारिक तंत्रों के सहयोग से मुकदमों का उचित एवं शीघ्रता से निपटारा करना होता है

(क) लोक अदालत
(ख) पारिवारिक न्यायालय
(ग) ग्राम न्यायालय
(घ) विभिन्न अधिकरण (जैसे प्रशासनिक अधिकरण)

इनमें लोक अदालतों का महत्व सबसे अधिक है। इन अदालतों में विभिन्न सिविल, समाधेय (अपराधी) मामलों को लाया जाता है

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

एवं दंड के बजाय दोनों पक्षों में सुलह का प्रयास किया जाता है ताकि दोनों पक्षों में कोई विद्वेष न रहे। इस अदालत का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होता है।

इसी प्रकार पारिवारिक न्यायालयों द्वारा विवाह, तलाक, वसीयत जैसे संवेदनशील मामलों को बेहद अनौपचारिक, एवं बातचीत के लहजे में निपटाया जाता है।

ये सभी तंत्र स्वद् नियमों जैसे साक्ष्य अधिनियम, सिविल प्रक्रिया संहिता पर न चलकर 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों' पर कार्य करते हैं। साथ ही वादी को न्यायधीश से सीधे संवाद करने का अवसर प्राप्त होता है।

समस्याएँ

(क) उचित अवसंरचना का अभाव जैसे 2008 में अधिनियम बनने के बाद भी अनेक राज्यों ने ग्राम न्यायालयों का अपेक्षित संख्या में गठन नहीं किया है।

(ख) वादियों में भी सुलह के बजाय प्रतिशोध

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

की भावना इन तंत्रों के सिद्धान्तों के खिलाफ है।
(ग) मानव संसाधनों की कमी जैसे लोक अदालतों में जजों की कमी; नोटरी, स्टैम्प वेंडरों आदि की अनुपलब्धता
(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारियों के कार्य करने की अनिच्छा
(ङ.) कई बार उच्च न्यायपालिका का हस्तक्षेप।
(च) जागरूकता का अभाव
सुझाव:- उचित कानून पारितकर इनकी स्थापना को तीव्र किया जाये। उच्चन्यायालय से इस संदर्भ में परामर्श लिया जा सकता है।
(ख) जजों में विभिन्न मामलों (जैसे - पारिवारिक) हल करने की योग्यता एवं विशेषज्ञता विकसित करने के उपाय करने चाहिये।
(ग) उचित अवसंरचना ~~विकास~~ हेतु बजटरी व्यवस्था।
(घ) ग्रामीण एवं विभिन्न तबकों को इन तंत्रों के बारे में जागरूक करना चाहिये।
अत: इन सुझावों के साथ ही ये तंत्र प्रभावी रूप से कार्य कर पायेंगे।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. While the power to punish for the contempt of court is a much needed tool to protect the administration of justice from being maligned, it is time that it be relooked into. Critically analyse. **(250 words)** 15

हालांकि न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति न्याय के प्रशासन को निन्दा से बचाने के लिए बहुत ही आवश्यक उपकरण है, लेकिन समय आ गया है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

संविधान के अनुच्छेद 129 के द्वारा और न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अवमानना पर दंडित करने की शक्ति प्राप्त है। यह अवमानना भी सिविल एवं आपराधिक दोनों प्रकार की हो सकती है।

वस्तुतः शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्तों के अनुरूप न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिये इस प्रकार की शक्ति का दिया जाना जरूरी है बिना इस शक्ति के न्यायधीश निर्भय होकर कार्य नहीं कर पायेंगे। यह शक्ति इस कारण से भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि संविधान ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को ही संवैधानिक भावनाओं एवं मूल अधिकारों के रक्षक के रूप में प्रतिस्थापित किया है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अतार्किक, बिना पक्षों पर विचार किये, अविवेकपूर्ण आलोचना, हस्तक्षेप के विरुद्ध न्यायपालिका के पास ऐसा हथियार होना आवश्यक है।

परंतु, दूसरे पक्ष पर विचार करें तो स्थिति तब जटिल हो जाती है जब न्यायपालिका 'न्यायिक अतिसक्रियता' की भावना से प्रेरित होकर अन्य दोनों अंगों यथा व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के कार्यों में दखलंदाजी देने लगती है। इसके साथ-साथ अनु० 142 का बढ़ता प्रयोग भी इसी संदर्भ का परिचायक है। ऐसी स्थिति में यदि न्यायपालिका की आलोचना या रोकने का प्रयास किया जाये तो दंड का भय हमेशा विद्यमान रहता है, चाहे वह व्यक्ति हो या संस्था। दंड भी अधिकतम 6 वर्ष के कारावास तक हो सकता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेताओं को सजा देने का फैसला इसी

बात का परिचायक है।

दूसरा पक्ष यह भी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह शक्ति न केवल उच्च न्यायालयों एवं अधीनस्थ न्यायालयों को भी प्रदान कर दी है। उचित एवं वस्तुनिष्ठ मानकों के बिना न्यायधीश का विवेक ही दंड को तय करता है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है। साथ ही तार्किक आलोचना करने की प्रवृत्ति पर भी पानी फिर जाता है।

अतः न्यायपालिका को चाहिये कि वह एक जवाबदेहिता प्रक्रिया को विकसित करें क्योंकि न्यायिक स्वतंत्रता बनाये रखने हेतु अवमानना की शक्ति अनिवार्य है परंतु यह आत्यांतिक नहीं है। उचित आलोचना में बाधा नहीं होनी चाहिये। मलिमथ समिति के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों के पास ऐसी शक्ति नहीं होनी चाहिये। साथ ही 'न्यायिक अतिसक्रियता' को भी 'न्यायिक संयम' के द्वारा रोकने का प्रयास करना चाहिये।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. Criminalisation of politics remains a key concern for the Indian political system. In this context, analyse the role played by the Supreme Court and Election Commission over the years. Also, in what ways can the media play a positive role? **(250 words)** **15**

राजनीति का अपराधीकरण भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए चिंता का एक प्रमुख विषय बना हुआ है। इस संदर्भ में, विगत वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग द्वारा निभाई गई भूमिका का विश्लेषण कीजिए। साथ ही, किस प्रकार मीडिया एक सकारात्मक भूमिका का निर्वाह कर सकता है?

एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के मुताबिक भारत की लोकसभा के ३५ % सांसद ऐसे हैं जिन पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है। इस भयावह स्थिति में ऐसी प्रक्रिया विकसित की जानी चाहिये जो अपराधीकरण पर अवरोध का कार्य करे।

* सर्वोच्च न्यायालय एवं निर्वाचन आयोग की भूमिका

(क) विभिन्न मामलों में न्यायालय ने राजनीति को साफ-सुथरा बनाये रखने हेतु निर्णय व निर्देश दिये हैं। 2002 में न्यायालय ने सभी चुनाव लड़ने वाले लोगों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा निर्वाचन आयोग को देना अनिवार्य कर दिया। इसी का अगला स्तर हालिया 'लोक प्रहरी' की जनहित याचिका में देखा गया जहाँ न्यायालय ने सभी सदस्यों को 'आय के स्रोतों' के

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

ब्यौरे भी प्रस्तुत करने को कहा है।
(2013)
लिली थॉमस बनाम भारत संघ वाद 1 में न्यायालय ने जिन व्यक्तियों को, विभिन्न मामलों में 2 वर्ष से अधिक की सजा मिली है, की सदस्यता तुरंत प्रभाव से निरस्त करने का आदेश दिया।

इसी प्रकार 2013 में न्यायालय ने चुनाव आयोग को अपनी एक संहिता विकसित करने व चुनाव के नियम बनाने का भी आदेश दिया।

हालिया एक वाद में न्यायालय ने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की सदस्यता पर आजीवन प्रतिबंध लगाने हेतु विचार किया है एवं इन आपराधियों के निर्णय हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्देश भी सरकार को दिया है।

(ख) इसी प्रकार चुनाव आयोग ने भी अपनी अनेक संहिताओं, आदेशों के द्वारा न्यायालय के साथ मिलकर इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है। अनेक चुनाव सुधारों (चुनाव समय में शराबबंदी, हथियारों

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

पर रोक आदि में) चुनाव आयोग की रिपोर्टों का प्रमुख योगदान रहा है।

मीडिया की भूमिका :- भारतीय लोकतंत्र के चौथे प्रहरी के रूप में मीडिया की आपराधिकरण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

चाहे 'नोट के वोट' की घटनाओं को उजागर करना हो या, प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि की जानकारी, चाहे चुनावी संहिता का पालन हो या विभिन्न स्टिंग ऑपरेशनों के जरिये राजनीतिक विसंगतियों का पर्दाफाश करना हो, मीडिया ने अपनी भूमिका का निर्वाहन पूर्व सक्रिय तरीके से किया है।

परंतु पिछले कुछ समय से पेड न्यूज, मीडिया का बिकना जैसी प्रवृत्तियों ने प्रेस की छवि को धूमिल किया है अतः सरकार को चाहिये कि वह उचित नियम बनाकर इन प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाये व साथ ही मीडिया को भी अपनी कार्य-संस्कृति में सुधार की ज़रूरत है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. Highlight, in brief, the mandate of the National Commission for Minorities (NCM). Identify the different challenges that the commission faces and suggest measures to address them. **(250 words)** 15

संक्षेप में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) के अधिदेश पर प्रकाश डालिए। आयोग द्वारा सामना की जा रही विभिन्न चुनौतियों की पहचान कीजिए और उनके समाधान करने के उपाय सुझाइए।

भारत में संसद द्वारा 1992 में एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। अधिनियम के एक अनुच्छेद के तहत धार्मिक अल्पसंख्यकों की सूची बनाकर इस आयोग को उन समूहों के संदर्भ में निम्न कार्य सौंपे हैं-

(क) संविधान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित रक्षोपायों की जाँच करना एवं उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना

(ख) सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों हेतु बनायी जा रही योजनाओं, विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करना।

(ग) योजना निर्माण में सरकार को सलाह देना

(घ) अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की जाँच करना (अर्द्धन्यायिक निकाय के रूप में)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(ङ) अल्पसंख्यकों की विकास स्थिति के अनुरूप प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रदान करना। जिसे राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाता है।

विभिन्न चुनौतियाँ

(क) आयोग की शक्तियाँ केवल सलाहकारी हैं। यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह उसे माने या नहीं

(ख) अल्पसंख्यकों में भी शिक्षा, जागरूकता का अभाव है अतः उचित शिकायतों के अभाव में आयोग भी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता।

(ग) पूरे देश की विविधतापूर्ण स्थितियों में न तो आयोग के पास इतनी तकनीक है, न ही मानव संसाधन कि वह स्थितियों का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके।

(घ) मानवाधिकार आयोग की तुलना में गैर सरकारी संगठनों आदि का सहयोग भी इसे कम प्राप्त होता है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आगे की राह

(क) कानून में उचित संशोधनकर आयोग को और अधिक सशक्त बनाने का प्रयास करना चाहिये।

(ख) धालिया विवादों जैसे कुछ राज्यों में हिंदु अल्पसंख्यकों का दर्जा जैसे विवादों का उचित समाधान करना चाहिये।

(ग) आयोग को उचित मानव संसाधन एवं अन्वेषण बल उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

(घ) उत्पीडन के मामले में कुछ क्षतिपूर्ति प्रदान करने जैसे अधिकार दिये जा सकते हैं।

(ङ) सलाहकारी निर्णयों पर सरकार की जवाबदेही को बढ़ाना चाहिये।

(च) इस क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों को सक्रिय करने हेतु अनुदान आदि प्रोत्साहन दिये जा सकते हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. The recent decision of the government to open up positions at the senior levels in bureaucracy through lateral entry is an important but only small step in the direction of much needed reforms in the higher civil services. Analyse. **(250 words)** 15

पार्श्व प्रवेश के माध्यम से नौकरशाही में वरिष्ठ स्तर के पदों को खोलने का सरकार का हालिया निर्णय उच्चतर सिविल सेवाओं में अति आवश्यक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण, किन्तु केवल एक छोटा-सा कदम है। विश्लेषण कीजिए।

हाल ही में संयुक्त सचिव से ऊपर के पदों पर पार्श्व प्रवेश के माध्यम से आवेदनों का मंगाया जाना नौकरशाही सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है क्योंकि-

(क) प्रशासन में विशेषज्ञता आयेगी।

(ख) अधिकारियों में प्रतिस्पर्धा विकसित होगी।

(ग) निजी क्षेत्र की संस्कृति से सरकारी क्षेत्र में सुधार की संभावना।

(घ) विभिन्न आयोगों (2nd ARC, बासवान समिति) की सिफारिशों के अनुरूप।

(ङ) बदलते सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक परिदृश्य के अनुरूप।

किन्तु, यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि इस कदम से नौकरशाही संरचना में

आमूलचूल परिवर्तन हो जायेंगे। इसे सिर्फ सुधारों का प्रस्थान बिन्दु कहा जाना चाहिये। अन्य स्तरों पर भी निम्न सुधारों की जरूरत है।

(क) ~~आंतरिक जवाबदेहिता~~ युक्तियुक्त प्रतिनिधित्व के स्तर पर नियुक्ति एवं चयन की प्रणाली तो पारदर्शी है परंतु नौकरशाहों के स्थानान्तरण, प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया अभी भी राजनीति प्रेरित है। प्रायः देखा जाता है कि सरकारें बदल जाने पर उच्चतर अधिकारी भी बदल जाते हैं।

(ख) लैटेरल एन्ट्री के स्तर पर भी यह देखना ज़रूरी होगा कि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हो, कार्यकाल एवं लक्ष्य निश्चित हो, भाई-भतीजावाद न हो एवं साथ ही यह ध्यान रखना भी आवश्यक होगा कि '<u>मेरिट पद्धति के संरक्षक</u>' संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका पर कुठाराघात न हो।

(ग) लेटेरल नियुक्ति के साथ साथ मौजूदा लोकसेवकों को भी उचित मूल्यांकन प्रक्रिया

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

विकसित कर, मध्यावधि प्रशिक्षण आदि के द्वारा नयी व्यवस्था के अनुरूप विकसित एवं प्रशिक्षित किया जा सकता है।

(घ) नये नियुक्त सचिवों के कार्यों की पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता हेतु अनुकूल मानकों का निर्माण करना भी अत्यावश्यक होगा।

(ङ) लैटरल एन्ट्री का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में ही करना चाहिये।

(च) उपर्युक्त सुझावों के साथ-साथ मौजूदा नौकरशाही की संस्कृति, संरचना के स्तर पर सुधारों के प्रयासों को भी बनाये रखना होगा।

अतः इन सब उपायों के साथ ही भारतीय 'लोकसेवक' अभिजात्यता का चोगा त्यागकर वास्तविक अर्थों में लोकसेवक साबित होंगे।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. Identifying the broad contours of the 'Transformation of Aspirational Districts' programme, explain how it adopts a novel strategy to address backwardness. **(250 words)** 15

'आकांक्षी जिलों के रूपांतरण' कार्यक्रम की व्यापक रूपरेखा की पहचान करते हुए, व्याख्या कीजिए कि यह पिछड़ेपन से निपटने के लिए किस प्रकार नवीन रणनीति अपनाता है।

हाल ही में 'नीति आयोग' द्वारा देश के 115 पिछड़े जिलों के विकास हेतु 'आकांक्षी जिलों के रूपान्तरण' कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। इस कार्यक्रम में पूर्वतः निर्धारित मानकों (शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास का स्तर, समावेशन आदि) के आधार पर देश के विभिन्न राज्यों (गोवा को छोड़) जिलों का चयन किया गया है। निम्न स्तरों पर यह कार्यक्रम नवीन रणनीति से प्रेरित है।

(क) कार्यक्रम की संरचना के स्तर पर नीति आयोग केवल योजना की रूपरेखा निर्माणक एजेंसी है। वास्तविक कार्यान्वयन शक्ति केन्द्रीय मंत्रालयों (जैसे गृह मंत्रालय को उग्रवाद प्रभावित 35 जिलों की जिम्मेवारी सौंपी गई है) एवं राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(ख) 'सहकारी संघवाद' का अनुपम उदाहरण क्योंकि केन्द्र एवं राज्य दोनों के विभागों के हस्तक्षेपों द्वारा इन जिलों के विकास के उपाय किये जायेंगे।

(ग) 'प्रभारी' अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान

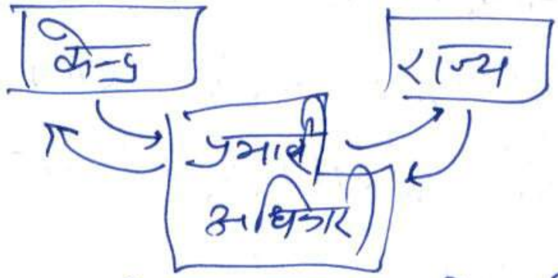

यह अधिकारी जहाँ एक ओर केन्द्रीय निर्देशों का पालन करेगा वहीं दूसरी ओर केन्द्र-राज्य समन्वय बनाने, योजनाओं की निगरानी करने का कार्य भी सम्पन्न करेगा।

(घ) योजना में 'सामुदायिक सहयोग' की सोच को भी अपनाया गया है जहाँ 'बॉटम अप' एप्रोच अपनाते हुए विभिन्न

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

विकेन्द्रित संस्थाओं (पंचायतों) आदि के सहयोग द्वारा क्रियान्वयन क्षमता को सुदृढ़ बनाया जायेगा।

(5.) कार्यक्रम निगरानी के स्तर पर भी केन्द्र, राज्य, जिला आदि स्तरों पर उपाय किये गये हैं। केन्द्र स्तर पर एक शीर्ष कमेटी इस कार्यक्रम की निगरानी हेतु नोडल (जैसी) का कार्य करेगी। साथ ही विभिन्न मंत्रालयों का 'अभिसरण' भी एक महत्वपूर्ण रणनीति है।

इस प्रकार निम्न उपायों के द्वारा यह कार्यक्रम सहकारी संघवाद, विकेन्द्रित, समुदाय आधारित प्रयास आदि के द्वारा योजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. How did India fare on the Millennium Development Goals related to health? In this regard, identify the relevant Sustainable Development Goals and evaluate India's capacity to meet them. **(250 words)** 15

स्वास्थ्य से संबंधित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों पर भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? इस संबंध में, प्रासंगिक संधारणीय विकास लक्ष्यों की पहचान कीजिए और उन्हें पूरा करने में भारत की क्षमता का मूल्याँकन कीजिए।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2000 से 2015 की अवधि तक के सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति पर विचार करें तो भारत का प्रदर्शन लक्ष्यानुरूप नहीं रहा है।

(क) अंडर-5 बाल मृत्यु दर की बात करें तो MDG's में इसे 1990 के स्तर से 2015 के स्तर पर 2/3 कम करने को कहा गया था। जिसे भारत प्राप्त नहीं कर सका।

(ख) एच. आई. वी., मलेरिया आदि रोगों के उन्मूलन के सन्दर्भ में भारत की प्रगति संतोषजनक है हालांकि 2010 तक HIV का सार्वभौमिक उपचार प्राप्त नहीं हुआ।

(ग) 2015 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(घ) मातृ मृत्यु दर की कमी के स्तर पर भी स्थिति संतोषजनक नहीं है।

2015 से 2030 के मध्य में न्यूयार्क के सं.रा. शिखर सम्मेलन में 17 लक्ष्यों का समुच्चय तैयार किया गया जिसमें लक्ष्य संख्या 3 में अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण की कामना की गई है।

प्रमुख लक्ष्य

(क) नवजात मृत्यु दर को 2030 तक 12 प्रति हजार पर लाना।

(ख) अंडर-5 मृत्यु दर को 2030 तक 25 प्रति हजार लाना।

(ग) मातृ-मृत्यु दर को 70 प्रति लाख लाना (2030)

(घ) सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के प्रयास करना।

भारत की स्थिति

व्यय :- भारत स्वास्थ्य सेवाओं पर GDP का 1.4 % व्यय करता है जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में इस व्यय को 2.5 % तक करने का प्रावधान है।

× सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ :- स्थिति अच्छी नहीं

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

है। भारत का आउट ऑफ पॉकेट खर्च अधिक है। इस हेतु हालिया 'आयुष्मान भारत' योजना सराहनीय कदम है जो 'बीमा' के मॉडल से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में प्रयास करेगी।

दवा:- दवाओं का खर्च अधिक परंतु रा० फार्मास्युटिकल प्राइसिंग प्राधिकरण के द्वारा उपयोगी दवाओं के दाम कम किए जा रहे हैं साथ ही वहनीय दवाओं हेतु 'प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र' एक महत्वपूर्ण योजना बन गई है।

मानसिक स्वास्थ्य एवं गैर संचारी रोग: मानसिक स्वास्थ्य हेतु अधिनियम, NCD's हेतु वेलनेस सेंटर का प्रावधान

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य:- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, मिशन इन्द्रधनुष आदि।

कुल मिलाकर स्थिति संतोषजनक। रा० स्वास्थ्य नीति अनुसार व्यय बढ़ाना चाहिए 2.5%/GDP मानव संसाधन व कार्यान्वयन के अन्य प्रयास करने चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. What are the different rights recognized under the Forest Rights Act, 2006? Highlight the gaps in the implementation of community forest rights and community forest resource rights granted under the Forest Rights Act. Also, suggest measures to address the current scenario. **(250 words)** 15

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त विभिन्न अधिकार क्या हैं? वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए सामुदायिक वन अधिकारों और सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के कार्यान्वयन में अंतरालों पर प्रकाश डालिए। साथ ही, वर्तमान परिदृश्य को संबोधित करने के उपाय भी सुझाइए।

2006 में पारित अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वन निवासी (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम एक महत्वपूर्ण घटना है जो 'वन' एवं 'वन निवासियों' को पृथक न मानकर उनके अधिकारों की घोषणा करती है। इस अधिनियम में निम्न अधिकार प्रदत्त है -

(क) अधिनियम के अनुसार वन भूमि पर पिछली तीन पीढ़ियों या 75 वर्षों से निवास कर रहे व्यक्ति को ज़मीन पर स्वामित्व का अधिकार मिलेगा (entitlement rights)।

(ख) व्यक्ति एवं समुदायों को ~~एकत्र~~ अपनी भूमि का प्रबंधन करने, गौण वनोत्पादों को इकट्ठा कर विक्रय करने का अधिकार होगा।

(ग) वन निवासियों का वन संसाधनों पर

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(वन्यजीवों के शिकार को छोड़कर) स्वामित्व, नियोजन एवं प्रबंधन का अधिकार होगा।

(घ) पारंपरिक ज्ञान विज्ञान के द्वारा वन एवं वनीय जैव-विविधता के संरक्षण का अधिकार।

(ङ) पुनर्वास का अधिकार

कार्यान्वयन में अंतराल

(क) अधिनियम में 'कम्युनिटी राइट्स' पर कोई बात नहीं की गई है

(ख) ऐसे क्या मानक होंगे जो यह तय करेंगे कि व्यक्ति वहाँ फलाँ समय से निवास कर रहा है? साथ ही उस व्यक्ति के अधिकारों का क्या जो विस्थापित होकर नयी भूमि पर आया है।

(ग) राज्यों में क्रियान्वयन के स्तर पर अंतरालों का विद्यमान होना।

(घ) जनजातियों में जागरूकता का अभाव होना, शिक्षा की अनुपलब्धता एवं अधिनियम की जटिल प्रशासनिक भाषा जनजातियों हेतु अबोधगम्य है

(ङ) प्रशासनिक शिथिलता, जनजातियों की

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

पहचान एवं आँकड़ों का अभाव, संवेदनशीलता की कमी एवं जनजातियों का पिछड़ापन भी कार्यान्वयन को बाधित करते हैं।

उपाय:- (क) सबसे पहले अधिनियम को सरल भाषा और संभव हो तो जनजातियों की मातृभाषा में अनुवादित कर, जनजातियों को जागरूक करना चाहिये कि उनके भी अधिकार हैं।

(ख) अधिकारों की प्राप्ति के मानकों का निर्धारण आवश्यक है।

(ग) जनजातीय क्षेत्रों का भौतिक (अवसंरचना) एवं सामाजिक (शिक्षा, स्वास्थ्य) विकास करना।

(घ) अधिनियम को 'पेसा अधिनियम' से सुसंगत कर ग्रामसभा को सुदृढ़ करना एक सराहनीय प्रयास हो सकता है।

(ङ) विभिन्न राज्यों को इसके प्रावधानों को लागू करने हेतु प्रेरित करना।

(च) अन्य स्तरों पर 'वनाधिकार सक्सेना (xaxa) समिति' की सिफारिशों पर कार्य करना भी उपयोगी रहेगा।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. Progress in India-US ties has been accompanied by equally significant divergences on important issues. Examine in the context of recent developments. **(250 words)** 15

भारत-अमेरिका संबंधों में प्रगति समान रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों पर उल्लेखनीय असहमति के साथ हुई है। हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में परीक्षण कीजिए।

भारत- अमेरीका संबंध

- 21 वीं सदी में प्रगाढ़
- 123 समझौता
- 9/11 का अटैक अमेरीका पर

सहमति के मुद्दे

(क) आर्थिक विकास, व्यापार, निवेश के मुद्दे - (अमेरीकी कंपनियों का भारत में निवेश)

(ख) रक्षा स्तर पर - लेमोआ, मालाबार अभ्यास

(ग) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्तर - NISAR राडार, विभिन्न परियोजनाओं जैसे LIGO में साथ कार्य।

(घ) लोकतांत्रिक भावनाओं के स्तर पर

(ङ.) भारत की संयुक्त राष्ट्र में स्थायी

सदस्यता का समर्थन अमेरिका द्वारा
(घ) बढ़ते चीनी प्रभाव पर नियंत्रण, ओबोर नीति पर दोनों संशय में
(ङ) नाभिकीय संगठन NSG में अमेरिका का भारतीय सदस्यता को समर्थन

असहमति

(क) ट्रम्प की गैर आप्रवासन नीतियाँ (H1B वीजा के मुद्दे)
(ख) पर्यावरणीय समझौते पर (पेरिस जलवायु समझौते पर अमेरिका) का हटना
(ग) संरक्षणवाद (अमेरिकी) व मुक्त बाजार (भारतीय) के मुद्दों पर द्वन्द्व
(घ) इंडो-पैसिफिक क्षेत्रीय नीति पर भी हालिया समय में दोनों पक्षों में वैभिन्य नज़र आया है। अमेरिका ने '2+2 संवाद वार्ता' भी अभी के लिये निरस्त कर दी है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(ङ) व्यापार शुल्कों के संबंध में
(च) IPR के मुद्दे -(यू-एस.टी. आर - 301 रिपोर्ट)
(छ) रूस के साथ संबंधों पर (हालिया एस-400 डील पर अमेरिकी विरोध)

कुल मिलाकर भारत- अमेरिकी संबंध प्रगतिशील है | हालिया समय में कुछ रुकावट का आभास दिखाई देता है परंतु दोनों देशों के मध्य वार्ताएं चल रही है दोनों देशों के मध्य 50 से अधिक वार्ता मंच है | अतः दोनों की सहभागिता एक नये बहुध्रुवीय विश्व के निर्माण हेतु जरूरी है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. Despite bonhomie, the structural differences between Indian and Israeli national security situations, their worldviews and absence of explicitly shared enemies limit stronger strategic rapprochement. Critically discuss.

(250 words) 15

सौहार्दपूर्ण संबंधों के बावजूद, भारतीय और इज़राइली राष्ट्रीय सुरक्षा परिस्थितियों के मध्य संरचनात्मक अंतर, उनके वैश्विक दृष्टिकोण और स्पष्ट रूप से साझा शत्रुओं की अनुपस्थिति मजबूत रणनीतिक मैत्री को सीमित करती है। आलोचनात्मक चर्चा कीजिए।

पिछले कुछ समय में भारत एवं इजराइल के मध्य हुए समझौते, आधिकारिक शिखर वार्ताएँ, यात्राएँ; सुरक्षा, विकास, प्रौद्योगिकी के समझौते भारत-इजराइल संबंधों के एक नये युग के गवाह बन उठे हैं। भारत ने भी 'डी-हाइफन' की नीति को अपनाते हुए इजराइल के साथ मित्रता को तहरीज दी है। परंतु साथ ही कुछ मुद्दे हैं जो मित्रता को सीमित करते हैं जैसे-

(क) भारत और इजराइल के प्राकृतिक साझेदार होने के मध्य उनका शत्रुओं से घिरा होना जिम्मेदार है। परंतु ~~वैश्वी~~ वैश्विक दृष्टिकोण की बात की जाये तो इजराइल स्वयं को एक यहूदी राष्ट्र मानता है एवं दुनिया के समस्त यहूदियों को इजराइल का नागरिक

घोषित करता है, यहूदी विरोधी को इजराइल विरोधी मानता है वहीं भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहाँ सभी धर्मों में समानता है।
दूसरे स्तर पर इजराइल की नीति गुटवादी है वह अमेरीका का एक रणनीतिक साझेदार है जबकि भारत गुटनिरपेक्षता के सिद्धान्त पर कुछ लचीलेपन के साथ आज भी अमल करता है।

(ख) राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तर पर दोनों देश सीमा विवाद से उलझे हैं परंतु इजराइल ने जहाँ फिलीस्तीन को मान्यता नहीं दी है, साथ ही उनमें उनके मानवाधिकारों का बड़ी मात्रा में उल्लंघन भी किया है। भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में फिलीस्तीन के पक्ष में कई बार मत देना भी इसी बात का द्योतक है

(ग) इजराइल के आस-पास के पड़ोसी अरब देशों के साथ युद्ध हो चुके हैं जबकि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा हेतु इन देशों पर निर्भर है इसके अलावा भारत के लाखों कामगार अरब देशों में स्थित है अत: भारत इजराइल के साथ दोस्ती, अत्यन्त परिपक्व परिवर्तन

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

देशों की कीमत पर नहीं कर सकता। यह एक अन्य बड़ा कारण है जो मित्रता की राह में अवरोध है।

परंतु ऐसा नहीं है कि मार्ग आगे नहीं बढ़ रहा है। आज इजराइल एक स्थापित सत्य बन चुका है। अरब देश जैसे मिस्र, सऊदी अरब आदि भी इजराइल के साथ अपने संबंधों को मजबूत बना रहे हैं। भारत को अपने विकास कार्यक्रमों जैसे मेक इन इंडिया के साथ-साथ कृषि विकास, जल प्रबंधन आदि एवं सुरक्षा उपकरणों के लिये इजराइल की ज़रूरत है तो इजराइल को भी अन्तर्राष्ट्रीय साख एवं निवेश हेतु भारत की। अतः भारत ने अपनी 'डी- हाइफन' पॉलिसी के साथ इजराइल के संबंधों को प्रगाढ़ करने हेतु प्रयास किये हैं।